बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

आदेश

श्री सर्वेश बहादुर माथुर, तत्कालीन प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ विभागीय आवंटनादेश सं0–69 दिनांक–28.04.10 से आवंटित राशि की निकासी विभागीय निदेश दिये जाने बावजूद भी नहीं करने एवं आपके द्वारा 6.82 लाख रूपये का प्रत्यर्पण वर्ष के अंत में करने के कारण कार्य के प्रति शिथिलता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने, एवं इस संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित नहीं कर आदेश की अवहेलना करने एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति का भुगतान eZ Pay Card के माध्यम से भुगतान संबंधी योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही संबंधी आरोप के संबंध में प्रपत्र 'क' विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2– प्रतिवेदित आरोप के संबंध में विभागीय संकल्प सं0–1609 दिनांक–19.07.11 के द्वारा श्री माथुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

3– अपर सचिव–सह–संचालन पदाधिकारी अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, पटना द्वारा पीत पत्र दिनांक–27.09.2011 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ विभागीय आवंटनादेश सं0–69 दिनांक–28.04.2010 द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि को ससमय व्यय नहीं करने एवं वर्षान्त में 6.82 लाख रूपया प्रत्यर्पित करने संबंधी आरोप एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति का भुगतान eZ Pay Card के माध्यम से भुगतान संबंधी योजना में विभागीय कार्यो के प्रति उदासीनता/शिथिलता एवं संवेदनशील कर्तव्य के प्रति लापरवाही संबंधी प्रतिवेदित आरोप को पूर्ण प्रमाणित पाया गया।

4– प्रमाणित आरोप के आलोक में श्री माथुर से विभागीय पत्रांक–976 दिनांक–13.05.13 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी एवं इन्हें अनेक बार स्मारित भी किया गया। श्री माथुर द्वारा दिनांक–26.09.2014 को विभाग में आवेदन देते हुए अपनी बीमारी के कारण द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव देने के लिए समय की मांग की गयी। श्री माथुर द्वारा अंततः दिनांक–15.02.16 को विभाग में द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया।

5– द्वितीय कारण पृच्छा में आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ विभागीय आवंटनादेश सं0–69 दिनांक–28.04.10 से आवंटित राशि की निकासी विभागीय निदेश दिये जाने बावजूद भी नहीं करने एवं आपके द्वारा 6.82 लाख रूपये का प्रत्यर्पण वर्ष के अंत में करने के कारण कार्य के प्रति शिथिलता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के संबंध में श्री माथुर द्वारा कहा गया है कि आवंटित राशि की निकासी हेतु विभाग एवं वित्त विभाग के द्वारा आंशिक या पूर्णतः बंधेज संबंधी आदेश के कारण उनके द्वारा वर्ष 2011 में राशि की निकासी बाधित हुई थी।

इसी तरह प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति का भुगतान eZ Pay Card के माध्यम से भुगतान संबंधी योजना में विभागीय कार्यो के प्रति उदासीनता/शिथिलता एवं संवेदनशील कर्तव्य के प्रति लापरवाही संबंधी प्रतिवेदित आरोप के संबंध में श्री माथुर द्वारा कहा गया है कि eZ Pay Card योजना जब शुरू हुई थी तो उसके शुरूआती दौर में कई स्तर पर तकनीकी त्रुटियों के कारण इस योजना में बहुत सारी जिलों में कठिनाई आयी थी। सरकार द्वारा समय–समय पर इसमें सुधार किया गया जिसके आलोक में क्षेत्रीय कार्यालयों में भी सुधार किया गया, जो मान्य नहीं है।

6-- श्री माथुर के दिनांक–31.12.12 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में परिवर्तित किया गया।

7– निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त प्रपत्र 'क' संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम, प्रमाणित आरोप के संबंध में श्री माथुर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की सम्यक् समीक्षा से स्पष्ट है कि श्री माथुर विभागीय कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता, शिथिलता एवं संवेदनशील कर्तव्य के प्रति लापरवाही संबंधी प्रतिवेदित आरोप के दोषी हैं।

8– सम्यक् समीक्षोपरांत बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 में निहित प्रावधानों के तहत श्री माथुर के पेंशन की राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती 3 वर्षो तक करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–1609 दिनांक–19.07.11 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही निष्पादित की जाती है।

2--यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3--प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री , अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक--2जी/(आरोप)अजा0अजजा0–16/11– 639 पटना, दिनांक– 13.3.18

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भोजपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–2जी/(आरोप)अजा0अजजा0–16/11– 639 पटना, दिनांक– 13.3.18

प्रतिलिपि– निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–2जी / (आरोप)अजा0अजजा0–16 / 11– 639 पटना, दिनांक– 13.3.18

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, बांका / जिला पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–2जी / (आरोप)अजा0अजजा0–16 / 11– 639 पटना, दिनांक– 13.3.18

प्रतिलिपिः–उप निदेशक कल्याण, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर / उप निदेशक कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना / जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका / जिला कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर / श्री सर्वेश बहादुर माथुर (सेवानिवृत्त प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी) वर्तमान पता–मुहल्ला –नौजर घाट, दिवान मुहल्ला, पो0–पटना सिटी, थाना–खाजेकला, जिला–पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–2जी / (आरोप)अजा0अजजा0–16 / 11– 639 पटना, दिनांक– 13.3.18

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अपर सचिव (स्थापना) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–2जी / (आरोप)अजा0अजजा0–16 / 11– 639 पटना, दिनांक– 13.3.18

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।